## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-654/2011/जोधपुर

सहायक आयुक्त, वृत—बी, जोधपुर हाल सहायक आयुक्त वृत—ई, जोधपुर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स सुनील एण्ड कम्पनी कृषि मण्डी,फलौदी

..प्रत्यर्थी

खण्डपीठ श्री खेमराज, अध्यक्ष श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा, उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं

निर्णय दिनांक : 9-3-2017.

## निर्णय

यह अपील सहायक आयुक्त, वृत-ई, जोधपुर (जिसे आगे सशक्त अधिकारी कहा जायेगा) के उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 32/आरवेट/जेयूबी/ 08-10 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे वैट-अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 82 पारित निर्णय 15.09.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्होंने सशक्त अधिकारी द्वारा रिवर्स की गई आई टी सी रू. 4,51,528/- व ब्याज रू. 1,35,458/- आरोपित किया गया है, को अपास्त किया गया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पंजीकृत व्यापारी से वैट का भुगतान कर माल खरीद किया गया है। उसके द्वारा नियमानुसार क्लेम वैट—07 में प्रस्तुत कर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स पंकज ट्रेडर्स,फलौदी जिसका टिन नम्बर 08902600676 है, जो सशक्त अधिकारी के वृत में ही पंजीकृत है, से माल क्य किया जाकर आई.टी.सी. का क्लेम किये जाने पर सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त क्लेम इस आधार पर अस्वीकार किया है कि मैसर्स पंकज ट्रेडर्स,फलौदी ने गलत फर्मो से माल क्य किया है इसलिए रिवर्स टैक्स एवं ब्याज आरोपित करते हुए आदेश दिनांक 31.03.2009 पारित किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित रिवर्स टैक्स एवं ब्याज को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.09.2010 पारित किया, जिससे असन्तुष्ट होकर विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन कियाँ कि अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.09.2010 विधि के विरुद्ध एवं प्रकरण के तथ्यों के प्रतिकूल है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने विधि के प्रावधानों की अनदेखी करते हए सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित रिवर्स टैक्स ब्याज को अपास्त किया गया है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जिस फर्म से माल का कय किया गया है उस फर्म द्वारा गलत फर्मों से माल कय कर विकय किया है,इसलिए आई टी सी देय नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी फर्म को रिजस्टर्ड नोटिस सुनवाई की तारीख पेशी हेतु प्रेषित किया गया, जो मूल ही वापस लौटकर आ गया है। इसलिए विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया है। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सशक्त अधिकारी द्वारा आई टी सी को इसलिए रिवर्स कर रिवर्स टैक्स एवं ब्याज आरोपित किया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जिस फर्म से माल का क्य कर विक्य किया गया है उस फर्म द्वारा गलत फर्मों से माल क्य कर विक्य किया गया है, जो उचित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि जिस फर्म से प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल क्य कर विक्य किया गया है, वह फर्म सशक्त अधिकारी के वृत में पंजीकृत है और उसका टिन नम्बर 08902600676 है,क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है कि मैसर्स पंकज ट्रेडर्स,फलौदी क वर्ष 06—07 का कर निर्धारण दिनांक 02.09.2009 को पारित किया है, जिसमें मैसर्स पंकज ट्रेडर्स,फलौदी द्वारा की गई खरीद को अमान्य करते हुए मांग राशि रू. 25,49,545/—की मांग सृजित की जा चुकी है।

आई टी सी. स्वीकृत किये जाने के इस सम्बन्ध में अधिनियमँ की धारा 18 का अवलोकन किया जाना समीचनी होगा, जो निम्न प्रकार है :—

- 18. Input Tax Credit. (1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub—section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of
  - (a) sale within the State of Rajasthan; or
  - (b) sale in the course of inter-State trade and commerce; or
  - (c) sale in the course of export outside the territory of India; or
  - (d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or
  - (e) being used as raw material ,"except those as may be notified by the State Government," in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter–State trade or commerce; or

## -3-अपील संख्या-654/2011/जोधपुर

- (f) "being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale" in the course of export outside the territory of India; or
- (g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub–section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub–section.
- "(2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed."
- (3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases—
  - (i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub–section (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or
  - (ii) of goods made in the course of import from outside the State; or
  - (iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or
  - (iv) of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or
  - (v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction, on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner.
- (4) The State Government may notify cases in which partial input tax credit may be allowed subject to such conditions, as may be notified by it. 18

उक्त धारा के पठन से स्पष्ट धारा 18 (2) में किये गये प्रावधानानुसार कर जमा होने पर ही आई टी सी देय है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2015) 41 टैक्स अपडेट 269 (राज.) पूजा ट्रेडिंग कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में निम्न मत प्रतिपादित किया गया है :—

"Sec. 18(3)(v) of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 - Input Tax Credit - As per the provisions of Section 18(3)(v), the Assessing Authority may deny the input tax credit to the assessee if the assessee fails to prove the genuineness of purchase transaction on being asked to do so, but then, before holding a purchase transaction to be non genuine, the Assessing Authority has to arrive at the finding of inadequacy, insufficiency or involvement of element of fraud/forgery in relation to the documents submitted by the assessee for claiming input tax credit. It is submitted that an assessee is not required to prove that the tax has been paid to the State at the first point of sale in series of ensuing sales. Learned counsel submitted that it is impossible for a dealer to trace the entire chain of purchase transactions and procure the proof of payment of tax by the dealer who originated the sale. According to the petitioner if the selling and purchasing dealers have collected and deposited the tax on the value of the underlying sale, any

(2

## -4-अपील संख्या-654/2011/जोधपुर

anterior or posterior link in the series would have no bearing on the transactions. It is submitted that the Assessing Authority has disallowed the input tax credit to the petitioner to the tune of Rs. 81,48,947/-.by passing a non speaking order, merely on the ground that petitioner has not been able to produce the proof of payment of tax at the point of origin of sale and therefore, orders impugned deserve to be set aside. Rajasthan High Court at Jodhpur while allowing the petition of dealer held that :- "There is no finding recorded by the Assessing Authority regarding the collected tax being deposited by the selling dealer in respect of the purchase transactions entered into by the petitioner. Further, the involvement of the petitioner in alleged first sale in the series of sales, which is found to be suspicious and bogus, is presumed without there being any justifiable reason available on record. Thus, on the facts and in the circumstances of the case, in the considered opinion of this court, without considering the submissions of the petitioner and the material placed on record in their entirety and objectivity, the finding recorded by the Assessing Authority discarding the purchase transactions in question as not genuine, is not sustainable in the eyes of law."

रेकार्ड एवं प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि विक्य कर्ता व्यवहारी द्वारा केता से वसूल किया गया कर राजकोष में जमा कराया गया है या नहीं है। कर बोर्ड स्तर पर कर जमा होने का सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं है। वास्तव में माल का आवागमन हुआ है या नहीं, इसकी जांच सशक्त अधिकारी द्वारा नहीं की गई है। अतः प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह उक्त तथ्यों की जांच करने के पश्चात नियमानुसार धारा 18 (2) के प्रावधानो के आलोक में आई टी सी के सम्बन्ध में कार्यवाही करके पुनः आदेश पारित करें।

फलतः राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार कर प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेतिषत किया जाता है ।

निर्णय सुनाया गया ।

(मदल लॉल मांलवीय)

( खेमराज ) अध्यक्ष